



राँची विश्वविद्यालय
RANCHI UNIVERSITY

7.1.3:

Facilities in the Institution for the management of the following types of degradable and non-degradable waste

Geo Tagged Photographs



राँची विश्वविद्यालय RANCHI UNIVERSITY



Fig. Sanitary Napkin Vending Machine installed at Various Departments of Ranchi University, Ranchi



Fig. Waste Chemical Management at University Department of Chemistry, Ranchi University, Ranchi



राँची विश्वविद्यालय RANCHI UNIVERSITY



Fig. Waste disposal installed at campus of Ranchi University, Ranchi



राँची विश्वविद्यालय RANCHI UNIVERSITY



Fig. Compost Pit installed at Botanical Garden, Ranchi University, Ranchi



राँची विश्वविद्यालय RANCHI UNIVERSITY



Fig. Waste Management at campus of Ranchi University, Ranchi: **A.** Chemical Waste Management at University Department of Chemistry; **B.** Closed Pit for sewage management at Mass Communication Department, Ranchi University, Ranchi



राँची विश्वविद्यालय RANCHI UNIVERSITY




Fig. Water Management at campus of Ranchi University, Ranchi



राँची विश्वविद्यालय RANCHI UNIVERSITY





Fig. Initiative for making Ranchi University campus plastic free zone.



राँची विश्वविद्यालय RANCHI UNIVERSITY



Fig. For the e-Waste management Ranchi University having MoU with MSTC Limited, Ranchi (MoU agreement copy attached below).



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 2dcb910e645537c162da

Receipt Date : 19-May-2022 10:57:01 am

Receipt Amount : 100/-

Amount In Words : One Hundred Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an Agreement

District Name : Ranchi

Stamp Duty Paid By : MSTC LTD

Purpose of stamp duty paid : AGREEMENT

First Party Name : RANCHI UNIVERSITY

Second Party Name : MSTC LTD

GRN Number : 2211301369

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



Mukund Chandra Mehta

19.5.2022

Registrar

Ranchi University, Ranchi

SELLING AGENCY AGREEMENT

1.0. यह समझौता जो दिनांक 19-05-2022 को एक पक्ष के तौर पर रांची विश्वविद्यालय के साथ बनाया गया जिनका कार्यालय रांची विश्वविद्यालय, रांची, शहीद चौक, रांची - 834001, झारखंड पर स्थित है। इस कार्यालय को इसके बाद "PRINCIPAL" कहा जाता है (इस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्जित अथवा प्रतिकूल न ही, उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल समझा जाएगा)

THIS AGREEMENT made on this day of 19-05-2022 BETWEEN Office of Ranchi University having its Office at Ranchi University, Ranchi, Shahid Chowk, Ranchi - 834001, Jharkhand hereinafter called the "PRINCIPAL" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its Successors and Assigns) on the ONE PART

AND (और)

द्वितीय पक्ष के रूप में एमएसटीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और जिनका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कलकत्ता -700 020 में है और इसका रांची शाखा कार्यालय एक्सप्लोरेशन बिल्डिंग, चौथी मंजिल, सीएमपीडीआई कैंपस, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची -834 031, झारखंड में स्थित है, जिसे बाद में 'एमएसटीसी' (इस अभिव्यक्ति में जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्जित अथवा प्रतिकूल न ही, उसके कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल समझा जाएगा) कहा गया।

MSTC Limited (A Govt. of India Enterprise) incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 225-C, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta-700 020 and its Ranchi Branch office at Exploration Building, 4th floor, CMPDI Campus, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi-834 031, Jharkhand hereinafter called "MSTC" (which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its successors and assigns) on the Other part;

2.0. इस समझौते में स्वदेशी बाजार में PRINCIPAL की ओर से सभी प्रकार की स्क्रेप सामग्री, उत्पन्न पदार्थ (लौह तथा अलौह) के साथ-साथ उपकरणों, संयंत्रों, मशीनरियों एवं अन्य वस्तुओं आदि के निपटान हेतु, अधिशेष / अप्रचलित भंडारों, संयंत्रों, मशीनरी और उपकरणों, वाहनों, विविध लेखों, इमारतों के विध्वंस आदि का निपटान शामिल है। उपरोक्त के अलावा, इस समझौते के तहत किसी अन्य आइटम को जोड़ा जा सकता है, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है। यह अनुबंध दोनों ओर से समाप्त होने तक मान्य होगा। इस समझौते की समाप्ति पर, एमएसटीसी द्वारा बुक किया गया आदेश जारी रहेगा जैसे कि यह अनुबंध उन आदेशों के क्रियान्वयन तक जारी रहेगा। यह अनुबंध, अनुबंध की समाप्ति से पहले लिखित में स्पष्ट 3 (तीन) कैलेंडर महीनों के नोटिस के साथ समाप्ति के अधीन होगा। इस समझौते में कोई संशोधन केवल तभी लागू होगा जब लिखित रूप में किया गया हो और दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।




Registrar
Ranchi University, Ranchi

This Agreement covers disposal of all categories of scrap materials, secondary arising, surplus / obsolete stores, Plants, Machineries and equipment, vehicles, miscellaneous articles, demolition of Buildings, etc., on behalf of the PRINCIPAL in the indigenous market. In addition to the above, any other items may be added under this Agreement as may be mutually agreed upon. This Contract shall be valid till terminated by either side. At the expiry of this Agreement, the Orders booked by MSTC will continue to operate as if this Agreement continues till the execution of those orders. This Agreement shall be subject to termination with clear 3 (Three) calendar months' notice in writing from either side before the expiry of the contract. Any amendment to this Agreement would be enforceable only if made in writing and duly signed by authorized representatives of the Parties hereto.

3.0. व्यवसाय की मात्रा

अनुबंध अपने आप में एमएसटीसी को व्यवसाय की मात्रा के बारे में प्रिंसिपल को प्रतिबद्ध नहीं करता है

QUANTUM OF BUSINESS:

The Contract by itself does not commit the PRINCIPAL as to the quantum of business to MSTC.

4.0. MSTC की सेवा का दायरा, प्रकार और MSTC की जिम्मेदारी

NATURE & SCOPE OF SERVICE AND RESPONSIBILITY OF MSTC

4.1. एमएसटीसी सीधे एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com के माध्यम से इंटरनेट पर ई-नीलामी के माध्यम से सामग्रियों के निपटान की व्यवस्था करेगा, हालांकि आवश्यकता के आधार पर, सामग्री को किसी अन्य तरीके से भी निपटाया जा सकता है, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है।

MSTC shall directly arrange disposal of the materials through e-Auction on the Internet through MSTC's Website www.mstcecommerce.com However, depending on requirement, materials may also be disposed of through any other manner as may be mutually agreed upon.

4.2. एमएसटीसी निपटान के उद्देश्य के लिए निष्पादन की सूची में सम्मिलित सामग्री के लॉट्स बनाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेगा और PRINCIPAL से डिस्पोजेबल सामग्री की सूची प्राप्त करने पर कार्य करेगा। बिक्री कार्यक्रम को सहमति के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा.

MSTC will offer guidance in regard to making of lots for the purpose of disposal and will act on receipt of list of disposable materials from the PRINCIPAL. The Sale Programme will be mutually finalized.

4.3. एमएसटीसी ई-नीलामी के उद्देश्य के लिए अखिल भारतीय आधार पर एमएसटीसी के साथ पंजीकृत सभी ग्राहकों से बोलियां आमंत्रित करेगा और एमएसटीसी ई-नीलामी की तारीख और समय को सूचित करते हुए एमएसटीसी की वेबसाइट और अन्य इंटरनेट टूल द्वारा प्रचार की व्यवस्था करेगा। आम तौर पर, किसी विशेष ई-नीलामी के लिए कोई प्रेस विज्ञापन नहीं दिया जाएगा और यदि प्रधानाचार्य किसी विशेष प्रकाशन या इंटरनेट / एमएसटीसी की वेबसाइट के अलावा अन्य मीडिया के माध्यम से किसी विशेष ई-नीलामी के प्रचार की इच्छा रखते हैं, तो लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी व्यवस्था की




Registrar
Ranchi University, Ranchi

जाएगी। और खर्चा प्राचार्य द्वारा वहन किया जाएगा। चूंकि ई-नीलामी एक वेब आधारित प्रणाली है, बिक्री का प्रचार एमएसटीसी द्वारा एमएसटीसी की वेबसाइट और अन्य इंटरनेट उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा। MSTC shall invite bids from all the Customers registered with MSTC on all India basis for the purpose of e-Auction and MSTC shall arrange publicity by MSTC's Website and other Internet tools notifying date and time of e-Auction. Normally, no press advertisement will be given for any particular E-Auction and in case the Principal desires publicity for any particular E-Auction through a particular publication or media other than Internet / MSTC's Website, the same would be arranged on receipt of written request and the cost shall be borne by the Principal. Since E-Auction is a Web based System, publicity of the sale will be made by MSTC through MSTC's Website & other internet tools.

4.4. PRINCIPAL को, रिकार्ड के लिए, सिस्टम द्वारा उत्पन्न स्वचालित ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें ई-ऑक्शन के परिणाम जैसे के अनुमोदित लॉट्स, उच्चतम दर इत्यादि सम्मिलित होंगे। किसी ई-एक्शन की पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए PRINCIPAL के पास वेबसाइट पर जाने का विकल्प होगा जो आम तौर पर किसी विशेष ई-नीलामी की बोली पत्रक की प्रतिकृति को चित्रित करेगा।

The PRINCIPAL will receive a system generated e-mail indicating the status and result of the E-Auction, inter alia, showing details of the Lots Sold and the highest bids received, etc., for PRINCIPAL's record. The PRINCIPAL shall have the option to visit the Website in order to obtain a full report of any particular e-Auction which will normally depict the replica of the bid sheet of a particular E Auction.

4.5. आरक्षित मूल्य वेबसाइट में विक्रेता द्वारा तय और दर्ज किया जाना चाहिए, जो डिस्पोजेबल सामग्री के लिए केवल विक्रेता को ही दिखाई देगा, विक्रेता के लॉगिन द्वारा दर्ज किया गया रिजर्व प्राइस किसी अन्य को देखने के लिए उपलब्ध नहीं होगा,। यदि नीलामी शुरू होने से पहले विक्रेता द्वारा आरक्षित मूल्य दर्ज नहीं किया जाता है, तो जिस मूल्य के लिए आरक्षित मूल्य दर्ज नहीं किया गया है, वह प्रणाली द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

Reserve Price must be fixed and entered by the Principal in the website, which will be only accessible by the Principal and none else, for the disposable materials. In case the Reserve Price is not entered by the Principal prior to commencement of the Auction, the lots for which the Reserve price has not been entered shall stand automatically withdrawn by the system.

4.6. एमएसटीसी विक्रय किए गए लॉट के लिए सिस्टम के माध्यम से प्रिंसिपल की ओर से सफल क्रेताओं को क्रय आदेश /स्वीकृति पत्र जारी करेगी एवम विक्रेता की ओर से सफल क्रेताओं के साथ अनुबंध बनाएगी।

MSTC shall enter into sale contracts with the successful bidders/ buyers/ customers by issuing Sale Orders/ Acceptance Letters on behalf of the Principal through the system for the sold lots

4.7. सभी भुगतान विक्रेता / प्रिंसिपल के खाते में उच्चतम बोलीदाता द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। ईएमडी / बैंक स भुगतान की प्राप्ति के बारे में पुष्टि सेलर / प्रिंसिपल द्वारा एमएसटीसी को दी जाएगी, जिसके अनुसार बिक्री आदेश / वितरण आदेश, एमएसटीसी द्वारा जारी किया जाएगा।



Rabchi
Registrar
Ranchi University, Ranchi

All Payments will be remitted by the highest bidder to the account of Seller/Principal. Confirmation regarding receipt of EMD/Balance payment will be given by Seller/Principal to MSTC, pursuant to which Sale Order/Delivery Order as the case may be will be issued by MSTC.

4.8. चूंकि PRINCIPAL उचित जीएसटी अधिनियम के तहत एक सौदागर के रूप में पंजीकृत है, PRINCIPAL निष्पादन की जाने वाली सामग्री की सूची में प्रत्येक लोट के आगे GST की लागू दर भी अंकित करके देगा.

As the PRINCIPAL is registered as Dealers under the appropriate GST Act, the PRINCIPAL shall advise the applicable rates of Sales Tax Lot-wise to MSTC along with the Disposal List

4.9. प्रिंसिपल इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार स्कैप सामग्री की बिक्री के खिलाफ धारा 206C के तहत सफल ग्राहकों से, यदि कोई हो, तो स्रोत पर आयकर जमा करने के लिए जिम्मेदार है। इसे डिस्पोजल लिस्ट के साथ एमएसटीसी को सूचित किया जाएगा।

MSTC (ई-कॉमर्स ऑपरेटर) सामग्री की बिक्री से प्रिंसिपल (ई-कॉमर्स प्रतिभागी) से स्रोत पर आयकर में कटौती और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-ओ के तहत प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

Principal is responsible for collecting the Income Tax at source, if any, from the successful customers Under Section 206C against the sale of scrap material and submission to the appropriate authority as per the provision of Income Tax Act 1961. The tax rate will be informed to the MSTC along with the Disposal List.

MSTC (e-Commerce operator) is responsible for deduction of the Income Tax at source from the Principal (e-commerce participant) from the sale of material and for submission to the appropriate authority as per the provisions under section 194-O of Income Tax Act 1961

OR

जबकि मूलधन मालिक वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, एमएसटीसी आरसीएम पद्धति के माध्यम से ई-नीलामी आयोजित करेगा। इस प्रक्रिया में, बोलीदाता लागू जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।/Wherever the principal is not registered under Good & Services Tax Act, MSTC shall conduct e-auction through RCM method. In this process, the bidder will be liable to pay the applicable GST.

4.10. एमएसटीसी खरीदारों से देय भुगतान प्राप्त करने के बाद डिलीवरी ऑर्डर तैयार करेगा और जारी करेगा, जिसकी प्रस्तुति के पश्चात पर अनुबंध के अनुसार खरीदारों द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन सामग्री वितरित की जाएगी। यदि वैधानिक कारणों के लिए आवश्यक है, तो खरीदारों को चालान PRINCIPAL द्वारा जारी किया जाएगा। सफल क्रेता द्वारा निष्पादन की सामग्री उठाते समय यदि कोई भी विवाद आता है तो उसे क्रेता और विक्रेता द्वारा आपस में ही सुलझाया जायेगा



[Handwritten Signature]

Registrar
Ranchi University, Ranchi

MSTC shall prepare and issue Delivery Orders after receipt of due payments from the Buyers, on production of which the PRINCIPAL will deliver the materials subject to compliance of all formalities by the Buyers as per contract. If required for statutory reasons, invoices will be issued by the PRINCIPAL to the Buyers. Any dispute arising while effecting deliveries to successful bidders / buyers shall be dealt with by the Principal.

4.11. बुक किए गए बिक्री आदेशों के फॉलो उप के लिए भी एमएसटीसी जिम्मेदार होगा।
MSTC shall also be responsible for follow-up of Sale Orders booked.

4.12. जहाँ भी एमएसटीसी द्वारा ग्राहकों से बिक्री के अनुसार जमानत राशि रखी/(PRE -BID) जाती है, एमएसटीसी डिलीवरी पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर PRINCIPAL से वितरण पूर्णता प्रमाण पत्र /NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्राप्त होने पर खरीदारों को वापस कर देगा। PRINCIPAL, एमएसटीसी को बिक्री और वितरण बिक्री और वितरण के सामंजस्य के लिए जिस माह में निष्पादन की सामग्री की डिलीवरी सफल खरीददार को दी गयी उस माह के अगले माह की 10 तारीख तक एमएसटीसी को चालान और मासिक विवरण की प्रतियां देगा।

Wherever Security Deposit/ PRE -BID is retained by MSTC from the Customers as per terms of sale, MSTC shall refund the same to the Buyers on receipt of Delivery Completion Certificate / NOC (No Objection Certificate) from the PRINCIPAL within 15 days of completion of delivery. The PRINCIPAL shall give copies of Invoices and monthly Dispatch Statement to MSTC within 3th of each succeeding month to enable MSTC to reconcile the Sale and delivery.

5.0. सेवा शुल्क / SERVICE CHARGE:

5.1. एमएसटीसी ई-नीलामी के माध्यम से 3% की दर से सेवा प्रभार का हकदार होगा। सेवा प्रभार की गड़ना अंतिम बिक्री मूल्य पर सभी करों के अतिरिक्त की जाएगी। बिक्री मूल्य पर सहमत दर पर सेवा प्रभार, यदि कोई हो, तो जब्त ईएमडी / सुरक्षा जमा से वसूली योग्य होगी।

MSTC shall be entitled to a Service Charge @ 3% for sale through e-Auction which will be calculated on the basis of actual / final Sale Value realized excluding Duties and Taxes. The Service Charge at the agreed rate on the Sale Value shall also be recoverable from the forfeited EMD / Security Deposit, if any.

5.2. एमएसटीसी के लिए देय सेवा शुल्क एमएसटीसी द्वारा क्रेता से प्राप्त बिक्री आय से वसूल किया जाएगा और शेष बिक्री मूल्य PRINCIPAL को भेजा जाएगा। कटौती किए गए सेवा प्रभार का विवरण हस्ताक्षरित बिल और प्राप्ति के सात दिनों के भीतर रसीद के साथ भेज दिया जाएगा।

एमएसटीसी के लिए देय सेवा शुल्क एमएसटीसी द्वारा क्रेता से प्राप्त बिक्री आय से वसूल किया जाएगा। कटौती किए गए सेवा प्रभार का विवरण हस्ताक्षरित बिल और प्राप्ति के सात दिनों के भीतर रसीद के साथ भेज दिया जाएगा।

Service Charge payable to MSTC shall be recovered by MSTC from the sale proceeds realized from the Buyer. The details of Service Charges deducted shall be forwarded along with signed bill and receipt within seven days of receipt of payment from Buyers.



Registrar
Registrar

Ranchi University, Ranchi

5.3. जीएसटी, टर्नओवर टैक्स, अन्य कर के लिए कोई तत्व, कर इत्यादि, यदि लागू हो, जो अनिवार्य रूप से वैधानिक आवश्यकता के अनुसार देय हैं, PRINCIPAL द्वारा एमएसटीसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

Any element for tax other than GST, viz, Turnover Tax, Addl. Tax etc., if applicable, which are essentially payable as per statutory requirement shall be reimbursed to MSTC by the PRINCIPAL.

5.4. मौजूदा अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा सेवा शुल्क पर 18% का जीएसटी लगाया गया है जो PRINCIPAL द्वारा वहन किया जाना है। हालांकि, अगर बाद में केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन को प्रभावित किया जाएगा तो वह भी लागू होगा।

As per the existing enactment a GST of 18% on Service Charges has been levied by Government of India which has to be borne by the PRINCIPAL. However, if any subsequent changes made by the Union Government the same will be effected.

6.0. विक्रेता की सेवा का दायरा, प्रकार और विक्रेता की जिम्मेदारी:

NATURE & SCOPE OF RESPONSIBILITY OF THE PRINCIPAL:

6.1. एमएसटीसी को PRINCIPAL द्वारा प्रदान की जाने वाली निपटान सूची में विस्तृत विवरण, विनिर्देशन, स्थान, मात्रा, गुणवत्ता, UOM (माप की इकाई), जीएसटी की लागू दर, उत्पाद शुल्क की दर और विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो, शामिल होंगे। और ई-नीलामी की घोषणा / प्रचारित होने के बाद लॉट की मात्रा या स्थान नहीं बदला जाएगा। निपटान सूची में कोई संशोधन ई-नीलामी से पहले यदि PRINCIPAL द्वारा किया जाता है तो इस संबंध में प्रिंसिपल एमएसटीसी को सूचित करे जिससे की बोली लगाने वालों को ई नीलामी से पहले पर्याप्त समय देकर सूचित किया जा सके

The disposal List to be provided by the PRINCIPAL to MSTC shall include detailed Description, specification, location, quantity, quality, UOM (Unit of Measurement), applicable rate of GST, rate of Excise duty and special remarks, if any, for disposal. and the quantity or venue of the Lot will not be changed after the e-Auction has been announced / publicised. Any amendment to the Disposal List shall be made by the PRINCIPAL prior to holding e-Auction and intimated to MSTC in writing for notifying the Bidders sufficiently in advance

6.2. विक्रेता, क्रेताओं को एम् एस टी सी द्वारा जारी किये गए डिलीवरी आर्डर के अनुसार एवं एम् एम् एस टी सी द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार क्रेताओं को निष्पादन की सामग्री सौंपेंगे। ई नीलामी के सफल क्रेताओं को निष्पादन की सामग्री की डिलीवरी देते समय विक्रेता एवं प्रिंसिपल के बीच के किसी भी प्रकार के विवाद को प्रिंसिपल/विक्रेता द्वारा सुलझाया जायेगा

The Principal shall cause to effect deliveries to the buyers/ customers as per Delivery Orders issued by MSTC and as per directions given by MSTC from time to time. Any disputes arising while effecting deliveries to successful bidders/ buyers shall be dealt with by the Principal



[Signature]
Registrar
Ranchi University, Ranchi

6.3. प्रिंसिपल एमएसटीसी द्वारा जारी शर्तों और बिक्री आदेशों / वितरण आदेशों के अनुसार चालान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

The Principal shall be responsible for raising invoices as per the terms and Sale Orders/ Delivery Orders issued by MSTC.

6.4. प्रिंसिपल ई नीलामी जब वो ऑक्शन फ्लोर पर लाइव होगी तब उसे अपने लॉगिन से देख सकते हैं. वे ई-नीलामी की निरंतरता के दौरान बोली इतिहास आदि को देखने में सक्षम होगा।

The Principal may monitor the auction and will be able to view the bid history etc., during the continuation of the e-Auction.

6.5. एमएसटीसी प्रिंसिपल को सामग्री की बिक्री के अपने मानक नियम और शर्तें प्रदान करेगा। प्रिंसिपल एमएसटीसी की बिक्री की मानक शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए एमएसटीसी पर जोर नहीं देंगे।

MSTC shall provide its standard terms and conditions of sale of materials to the Principal. The Principal will not insist on MSTC for any deviation from standard terms of sale of MSTC.

7.0. सूट की हैंडलिंग / HANDLING OF SUITS:


चूंकि एमएसटीसी केवल प्रिंसिपल की ओर से निष्पादन की सामग्री की नीलामी करने / सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, प्रिंसिपल, जो सामग्री का स्वामी / विक्रेता है, यदि बोलीदाताओं / खरीदारों द्वारा सूट/ कानूनी मुकदमे बाजी का आह्वान किया जाता है, जिसमें MSTC को पार्टी बनाया गया हो या न भी बनाया गया हो, ऐसे मामलों का निपटान प्रिंसिपल द्वारा विशेष रूप से किया जाएगा। प्रिंसिपल के सक्षम अधिकारियों को एकमात्र पंचाट नियुक्त करने की भी आवश्यकता होगी यदि कोई बिडर / ग्राहक प्रासंगिक ई-ऑक्शन क्लॉज के संदर्भ में इस तरह की नियुक्ति के लिए अनुरोध करता है। यदि कोर्ट केस एमएसटीसी की गलती पर उत्पन्न होता है, तो जिम्मेदारी एमएसटीसी की होगी।

Since MSTC will only act as Selling Agent/Service Provider to the Principal who is the Owner/ Seller of the materials, all litigations including arbitration, if any invoked by the Bidders/Buyers shall be exclusively dealt with by the Principal irrespective of whether MSTC is joined in such proceedings as party or not. It shall be responsibility of the Principal to handle all suits/legal proceedings including arbitration that may be initiated by or against any buyer/bidder and to defend itself in all such proceedings at its own costs and expenses. The competent officials of the Principal shall be also required to appoint the Sole Arbitration in case request for such appointment is made by Bidder/ Customer in terms of the relevant e-Auction Clauses. If court case arises on the fault of MSTC, then responsibility will be of MSTC.

8.0. FORCE MAJEURE / अप्रत्याशित घटना :

यदि इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के या पूरे पक्ष में किसी भी युद्ध, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, हमले, लॉक-आउट, आदि के द्वारा किसी भी दायित्व का प्रदर्शन रोक या देरी किया जाता है, या भगवान के कृत्यों (बाद में "घटनाओं" के रूप में जाना जाता है) बशर्ते किसी भी ऐसी घटना के होने की सूचना, प्रभावित पक्ष द्वारा,




Registrar
Ranchi University, Ranchi

प्रभावित होने की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को दी जाती हैं, ऐसी घटनाओं के कारण दोनों पक्षों के पास इस तरह के गैर-प्रदर्शन या प्रदर्शन में देरी के संबंध में दूसरे के खिलाफ नुकसान के लिए दावा नहीं होगा।

If the performance of any obligation under this Agreement, in whole or in part by either Party, be prevented or delayed by reason of any war, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosions, epidemics, strikes, lock-outs, etc., or acts of God (hereinafter referred to as "events") provided notice of happening of any such eventuality is given by the affected Party to the other within 21 (twenty one) days from the date of occurrence thereof, neither Party shall by reason of such events have an claim for damages against the other in respect of such non-performance or delay in performance.


9.0. ARBITRATION / APPLICABILITY OF LAWS कानून / कानून की अर्हता :

इस समझौते के संबंध में या इसके संबंध में या इस समझौते के उल्लंघन, समाप्ति, प्रभाव, वैधता, व्याख्या या आवेदन या उनके अधिकारों, कर्तव्यों या देनदारियों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, अंतर, विवाद या दावे, पार्टियों द्वारा आपसी परामर्श से तय किया जाएगा। यदि किसी भी कारण से ऐसे विवादों को पार्टियों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, तो विवाद को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा जिसमें एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा जिसे दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही उसी के प्रावधानों और नियम सुलह अधिनियम, 1996 या उसी के किसी भी वैधानिक पुनः अधिनियमन और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता की अपनी लागत वहन करेगा। / Any dispute, difference, controversy or claims arising between the parties out of or in relation to or in connection with this Agreement or the breach, termination, effect, validity, interpretation or application of this agreement or to their rights, duties or liabilities hereunder, shall be settled by the parties by mutual consultation. If for any reason such Disputes cannot be resolved amicably by the parties, dispute shall be referred to the Arbitral tribunal consisting of Sole Arbitrator to be appointed mutually by both the Parties. Arbitration proceedings shall be conducted in accordance with the provisions of the same and the rules Conciliation Act, 1996 or any statutory re-enactment of the same and the rules framed hereunder. The venue of the Arbitration shall be final and binding on both the parties. Each party shall bear their own cost of Arbitration.

10.0. अन्य शर्तें/OTHER CONDITIONS:

- एमएसटीसी लिमिटेड ई-नीलामी संचालन हेतु केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा तथा वह प्रिंसिपल/विक्रेता एवं क्रेताओं के बीच बिक्री संविदा में कोई पार्टी नहीं होगा।/MSTC LTD shall act only as a Service Provider for conducting e-auction and shall not be a party to the Sale Contract(s) between the Principal/Seller and the buyer(s).
- चूंकि बेची गयी सामग्री एमएसटीसी लिमिटेड के अभिरक्षा या कब्जे के अंतर्गत कभी नहीं आती है, अतः एमएसटीसी के विरुद्ध सामग्री की संख्या और/या गुणवत्ता के मामलों में बिडर/क्रेता की कोई भी शिकायत बाध्यकर नहीं होगी।/Since materials to be sold shall never come under the custody or possession of the MSTC Ltd, no complaint from the bidders/buyers on account of quality and/or quantity of goods shall lie against MSTC LTD




Registrar
Ranchi University, Ranchi

- c) एमएसटीसी बिडर की तरफ से इंटरनेट सेवा में किसी व्यवधान के कारण उत्पन्न किसी असुविधा हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।/MSTC shall not be responsible for any inconvenience caused due to any disruption in internet service at bidders' end.

11.0. कानून की प्रयोज्यता / APPLICABILITY OF LAWS :

यह करार लागू होने के समय एमएसटीसी/प्रिंसिपल भारतीय कानूनों एवं सत्यनिष्ठा द्वारा शासित होगा और पक्षकार स्पष्ट रूप से रांची में अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे / The Agreement shall be governed by the Indian Laws and Integrity Pact of MSTC/Principal for the time being in force and the parties expressly agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts in Ranchi.

12.0. INTEGRITY PACT / अखंडता संधि:

पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए, विक्रेता / सेलर/ प्रिंसिपल और एमएसटीसी दोनों इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रसारित "अखंडता संधि" के सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह अखंडता संधि एम् एस टी सी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त वफादारी संधि इस समझौते का हिस्सा और पार्सल बनेगी।

In order to bring out absolute transparency, both the Principal and MSTC hereby commits to ensure full compliance of all the provisions of the "Integrity Pact" as circulated by Ministry of Steel, Govt. of India, which is available on the website of MSTC Ltd. The said Integrity Pact will form part and parcel of this agreement

13.0. PREVAILING LANGUAGE / प्रचलित भाषा:

किसी भी संघर्ष के मामले में, समझौते का अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

In case of any conflict, the English version of the agreement shall prevail.



Geetha
Registrar
Ranchi University, Ranchi

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने ऊपर पहले उल्लिखित दिवस, माह तथा वर्ष में हस्ताक्षर किए हैं।/IN
WITNESS WHEREOF the parties hereto have subscribed their respective hands on the day, month, and
year first above written.

Mukund Chandra Mehta
19.5.22

हस्ताक्षरित और वितरित Registrar
Ranchi University, Ranchi
के लिए रांची विश्वविद्यालय की तरफ से

Signed and delivered
For and on behalf of Ranchi University, Ranchi

Pintan Kumar
19.5.22

गवाह:
WITNESS:

बी. के नायक / B.K. Nayak

शाखा वित्त प्रबंधक / Branch Finance Manager
एमएसटीसी लिमिटेड / MSTC Limited

भारत सरकार का उपक्रम / (A Govt. of India Enterprise)
हस्ताक्षरित और वितरित
रांची / Ranchi

के लिए एमएसटीसी लिमिटेड
की तरफ से

Signed and delivered
For and on behalf of MSTC Limited

शुभिका साधन / Shubika Sathan

सहायक प्रबंधक / Assistant Manager

एमएसटीसी लिमिटेड / MSTC Limited

भारत सरकार का उपक्रम / (A Govt. of India Enterprises)
रांची / Ranchi

गवाह:

WITNESS: